

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED	BY AUT	HORITY

ਸਂ. 1382] No. 1382] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939 NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1565(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3105 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां तारीख 16 नवम्बर, 2015 को, जनता को उपलब्ध कराई गई थी:

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

और, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (हाल ही में नाम बदलकर यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है) जो महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिला में  $17^{\circ}06'35'''$  उ0  $-17^{\circ}09'40'''$  उ0 अक्षांश और  $74^{\circ}20'20''$  और  $74^{\circ}24'20''$  'पू0 देशांतर के बीच अवस्थित है और 10.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है;

और, यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर अभयारण्य संरक्षक के दुर्लभ प्रयोगो में सें एक है जहाँ संपूर्ण अभयारण्य, वनीकरण कार्यक्रम के तहत बिना किसी बारहमासी जल स्रोत के निर्मित खेती वन है;

3157 GI/2017 (1)

और, अभयारण्य में पाए गए वन के प्रकार जो दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती के रूप में है और घास के मैदानों से ढके हुए पहाड़ी ढलानों के साथ दक्षिणी कांटेदार वन हैं;

और, अभयारण्य कि ज्यादातर वन्यजीव प्रजाति को 1980 में कृत्रिम रुप से लाया गया है और मुख्य वन्य पशुओं में काला हिरण (*एंटेलोप कर्विकापरा*), भेडिया (*कैनिस लूपास पिल्लिप्से*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर (*सर्वुस यूनीक्लोर*), जंगली सुअर (सस स्क्रोफ़ा), साही (हाइरिट्रिक्स इंडिका) सिम्मलत है;

और, टीक (टेक्टोना ग्रैंडिस), तेंदु (डायस्पिरोस मेलानॉक्सियालोन), सिसो (डाल्बर्गिया सिसो), एगेवे (एगेवा अमेरिकाना), खैर (अगाकिया कैटेचु), करंज (पोंगामिया पिन्नाटा), बीबा (सेमेकरपस एनकार्डम), आमला (एमब्लिका ऑफिसिनालिस), ऐन (टर्मिनलिया टेमेंटोसा) अप्टा (बहुनिया रिसेमोसा), चिंच (तामारइंडस इंडिका) आदि:

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमा के क्षेत्र और चौहद्दी को इस अधिसूचना के पैरा 1 में यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर के विस्तार के क्षेत्र को यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक फैला हुआ है। जिसका विस्तार 3.68 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध । क** और **उपाबंध ख** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध ॥** के रुप में संलग्न है।
- (4) महाराष्ट्र राज्य के जिला सांगली के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रुप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस रीति में, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्घ विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--
  - (i) पर्यावरण;
  - (ii) वन और वन्यजीव;
  - (iii) कृषि;
  - (iv) राजस्व;
  - (v) नगर विकास;
  - (vi) पर्यटन;
  - (vii) ग्रामीण विकास;
  - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
  - (ix) नगरपालिका;
  - (x) पंचायती राज;
  - (xi) लोक निर्माण विभाग।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए

### उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा। :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, अर्थात् :-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप पैरा 4 के अधीन:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भु-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा।
- (घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
  - (i) यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

- (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रिय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में उनके परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान भी होगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--
  - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
  - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
  - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **यानीय यातायात-** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (14) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी।
- (15) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:
  - (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
  - (ख)कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- (16) यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रवृत करने में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थातु :--

# सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	प्रतिषिद्ध	क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी;  (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम
		आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिचाईं परियोजना का स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ-आधारित उद्योग विधि के अनुसार बने रहेंगे।
8.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
		सिवाय) होंगे।
		ति क्रियाकलाप
10.	होटलों और रिसोर्टों का स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं।
		परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार, इनमें से जो भी नजदीक हो, से 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:
		(ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखा जाएगा।
12.	भू-जल का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन स्थानीय लोगों के पीने का पानी या कृषि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विनियमित होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम
		या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों और बिछाई गई केबलों और अन्य बुनियादी ढाँचों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबलों

	जातिक गरिशाओं गरित क्षिणकी कंते।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ,
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	िलागू विद्या के अनुसार न्यूनाकरण का उपाया के साथ, - नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश
		ानयम आर विानयमन आर उपलब्ध दिशानिदश विनियमित होंगे।
40	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ,
16.	उन्हें सुदृढ करना ।	नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश
	- 6 350 H. H. I	विनियमित होंगे।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागु विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए
17.		विनियमित होंगे।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	पोलिथीन थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में	उपचारित बहिर्स्नाव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना
	उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए
		विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर
		परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि
		या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का
		उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत
		प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) ।	
25.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	ध्वनि प्रदूषण।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि
		प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में
		नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में
		ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को
		कार्यान्वित करेगा।
27.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और विनियमित
	और अन्य उपयोग ।	और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से
		निगरानी की जाएगी।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, पर्यावरण (संरक्षण)
		अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम
		2016 के उपाबंधों के अनुसार होगा।
29.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पारिस्थितिक-पर्यटन से संबंधित	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, ड्रोन्,	
	आदि द्वारा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के	
	ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
		क्रियाकिलाप <u> </u>
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि	साक्रय रूप स बढ़ावा दिया जाए ।

	और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला,	
	डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य	
	पालन।	
32.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
	प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
	कारीगर आदि भी हैं ।	
35.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्निकृत भूमि या जंगलों या वास की	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
	बहाली।	

- 5. मानीटरी समिति केंद्रीय सरकार के द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--
  - (क) जिला कलक्टर, यवतमाल सांगली- अध्यक्ष;
  - (ख) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य;
  - (ग) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;
  - (घ) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य;
  - (ङ) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार सदस्य;
  - (च) महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि सदस्य;
  - (छ) राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सदस्य;
  - (ज) प्रभागीय वन अधिकारी, सांगली सदस्य सचिव ।

### 6. निर्देश निबंधन

- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा

4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों का वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ उद्योगों के श्वेत श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।


- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों. विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/115/2015-ईएसजेडआरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

## <u>उपाबंध ।क</u>


# यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



### उपाबंध ।ख

भारत के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सर्वेक्षेत्र, पारिस्थितिक संवेदी जोन और आस-पास क्षेत्र के लिए 7-10 किमी तक भूमि उपयोग की सुविधाओं को मानचित्र में दर्शाया गया है

#### MAP OF YASHWANTRAO CHAVAN SAGARESHWAR WLS ESZ SUPERIMPOSED ON BOI TOPOSHEET OF 1:50000 SCALE



उपाबंध ॥ क. यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र की सीमाओं के विवरण के साथ भू-निर्देशांक

			अभयारण्य	सीमा निर्देशांक सार	णी				
क्र. सं.	ग्राम के नाम		देशांतर			अक्षांश			
		डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड		
ए	देवराष्ट्रे	74	22	45.7572	17	9	14.4864		
बी	कुभ्भारगाँव	74	23	56.5152	17	8	8.7684		
सी	कुंडल	74	24	22.8564	17	6	58.104		
डी	घोगाँव	74	22	56.55	17	7	45.66		
ई	धायरी	74	22	25.806	17	8	10.0824		
एफ	तुपरी	74	22	9.678	17	8	20.4108		
जी	थाकरी	74	21	30.24	17	8	14.406		
एच	धुधारी	74	20	40.9128	17	9	0.828		
आई	रिथारे हरनाकशा	74	20	11.8464	17	9	24.4944		
जे	आसाद	74	20	46.3344	17	9	40.2696		
के	बादागाँव	74	21	29.592	17	9	2.214		

# ख. यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, के पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ भू-निर्देशांक

			सागरेश्वर वन्य	जीव अभयारण्य की निर्देश	शांक सारणी		
क्र. सं.	ग्राम ~		देशां	तर		अक्षांश	
	के _ नाम	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	देवराष्ट्रे	74	22	46.77	17	9	17.5
2	कुभ्भारगाँव	74	23	58.4088	17	8	11.4
3	कुंडल	74	24	26.154	17	6	57.168
4	घोगाँव	74	22	54.2856	17	7	43.158
5	धायरी	74	22	25.0032	17	8	6.522
6	तुपरी	74	22	12.5688	17	8	18.1824
7	थाकरी	74	21	28.9764	17	8	11.4
8	धुधारी	74	20	40.4124	17	9	57.5592
9	रिथारे हरनाकशा	74	20	8.7864	17	9	24.606
10	आसाद	74	20	46.5756	17	9	43.5348
11	बादागाँव	74	21	30.4272	17	9	5.5548

## उपाबंध ॥

# यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की

सूची

क्र. सं.	ग्राम <del>&gt;-</del>		देश	ांतर		अक्षांश	
	के _ नाम	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
I	देवराष्ट्रे	74	23	28.0572	17	9	45.1188
II	कुभ्भारगाँव	74	24	16.9632	17	8	14.496
III	कुंडल	74	25	14.5308	17	6	47.0376
IV	घोगाँव	74	22	39.684	17	6	53.9856
V	धायरी	74	22	26.1264	17	7	58.26
VI	तुपरी	74	21	51.2928	17	7	22.8576
VII	थाकरी	74	21	25.7796	17	8	0.5172
VIII	धुधारी	74	20	28.8924	17	8	29.022
IX	रिथारे हरनाकशा	74	19	43.59	17	9	18.377
Х	आसाद	74	20	50.8056	17	10	12.0792
ΧI	बादागाँव	74	22	4.7496	17	10	14.329

### उपाबंध IV

## पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

S.O. 1565(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3105 (E), dated 16<sup>th</sup> November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS,** copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the dated the 16<sup>th</sup> November, 2015;

**AND WHEREAS,** objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

**AND WHEREAS,** the Sagareshwar Wildlife Sanctuary (recently rename as Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary) is situated between 17°06'35'' N - 17°09'40'' N latitudes and 74°20'20'' and 74°24'20'' E longitudes in Sangli District of Maharashtra and extends over an area of 10.87 square kilometers;

**AND WHEREAS,** the Yashvantrao Chavan Sagareshwar Sanctuary is one of the rare experiments in conservation where the entire Sanctuary is a cultivated forest without any perennial source of water created under planned afforestation programme;

**AND WHEREAS**, the forest type found in the said Sanctuary are Southern dry mixed deciduous and Southern thorn forest with hill slopes covered with grasslands;

**AND WHEREAS,** most of the wildlife species of the aforesaid Sanctuary were artificially introduced in the year 1980 and the important wild animals include Black Buck (antelope cervicapra), Wolf (Canis lupas pallipes), Jackal (Canis aureus), Chital (Axix axis), Sambar (Servus unicolor), Wild pig (Sus scrofa), Porcupine (Hystrix indica);

AND WHEREAS, Teak (Tectona Grandis), Tendu (Diospyros Melanoxylon), Sisso (Dalbergia sisso), Agave (Ageva Americana), Khair (Agacia catechu), Karanj (Pongamia pinnata), Biba (Semecarpus anacardum), Amla (Emblica officinalis), Ain (Terminalia tamentosa) Apta (Bahunia recemosa), Chinch (Tamarindus indica), etc. are found in the said Sanctuary;

**AND WHEREAS,** it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW THEREFORE,** in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent up to 100 metres from the boundary of Yashvantrao Chavan Sagareshwar Sagareshwar Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

- **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 3.68 square kilometres with an extent up to 100 metres from the boundary of Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary.
- (2) The map of the protected area along with the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexures I–A and Annexure-B.**
- (3) The latitude and longitude of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure II.
- (4) The list of villages of Sangli District of Maharashtra falling within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III.**
- **2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent Authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
  - (i) Environment;
  - (ii) Forest and Wildlife;
  - (iii) Agriculture;
  - (iv) Revenue;
  - (v) Urban Development;
  - (vi) Tourism;

- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents and for the following activities, namely.

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
  - (i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- Noise pollution.- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

- (9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (11) **Plastic Waste Management:-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management:- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (14) **Industrial units-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries may be permitted to be established within Eco-sensitive Zone as per the Central Pollution Control Board's categorisation.
- (15) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- **16.** The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

### **TABLE**

S.No.	Activity	Remarks			
(1)	(2)	(3)			
	Prohibited	Activities			
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>th</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.			
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.			
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.			
4.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
5.	Use, production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
7.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:  Provided the existing wood-based industry may continue as per law.			
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.			
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.			
	Regulated	Activities			
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.			
11.	Construction activities.	<ul> <li>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per applicable building byelaws: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per</li> </ul>			

	T	applicable rules and regulations, if any.
12.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws to meet the drinking water or
		agricultural requirement of locals.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State
		Government.  (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules
		made thereunder.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Uses of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water	The discharge of treated effluent shall be regulated as per
	bodies or land area.	applicable laws and efforts shall be made to recycle/re-use the treated effluent.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-
		sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment may be permitted.
24.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
26.	Noise pollution	Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
27.	Open well, bore well ,etc. for agriculture or other usage	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
28.	Solid waste management.	Management of solid waste shall be as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 under the Environment (Protection) Act, 1986.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
30.	Undertaking activities related to Eco-tourism like over-flying the Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons, drones, etc.	Regulated under applicable laws.
	Promoted A	
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
	i	1


36.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.
37.	Agro forestry	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness	Shall be actively promoted.
39.	Skill development	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat	Shall be actively promoted.

- **5. Monitoring Committee.-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:
- (a) District Collector, Yavatmal Sangli Chairman;
- (b) a representative of non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case Member;
- (c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case Member;
- (d) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Member;
- (e) Senior Town Planner of the area Member;
- (f) representative of Department of Environment, Government of Maharashtra Member;
- (g) Member of State Biodiversity Board- Member;
- (g) Divisional Forest Officer, Sangli -Member Secretary.
- **6. Terms of reference.-** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.
- (3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 therof, shall be scrutinized by the monitoring committee based on site-specific conditions and referred to concerned Regulatory Authority.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No. 25/115/2015-ESZ-RE]

**Annexure I-A** 


Map of Yashvantrao Chavan Yashvantrao Wildlife Sanctuary along with its proposed Eco-sensitive Zone



**Annexure I-B** 

Map showing land use features as per Survey of India toposheet for the Sanctuary, Eco-sensitive Zone and adjoining area up to 7-10 kilometer





### Annexure II

# A. Description of Boundaries of Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary, Maharashtra along with Geo-coordinates

	SANCTUARY BOUNDARY COORDINATE TABLE								
Sr. No.	Village	Longitude			Latitude				
	name	D	M	S	D	M	S		
A	Devrashtre	74	22	45.7572	17	9	14.4864		
В	Kumbhargaon	74	23	56.5152	17	8	8.7684		
С	Kundal	74	24	22.8564	17	6	58.104		
D	Ghogaon	74	22	56.55	17	7	45.66		
Е	Dahyari	74	22	25.806	17	8	10.0824		
F	Tupari	74	22	9.678	17	8	20.4108		
G	Takari	74	21	30.24	17	8	14.406		
Н	Dudhari	74	20	40.9128	17	9	0.828		
I	Rethare Harnaksha	74	20	11.8464	17	9	24.4944		
J	Asad	74	20	46.3344	17	9	40.2696		
K	Wadgaon	74	21	29.592	17	9	2.214		

# B. Eco-sensitive Zone of Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife Sanctuary, Maharashtra along with Geo-coordinates

SAGARESHWAR WILDLIFE SANCTUARY BOUNDARY COORDINATE TABLE											
Sr. No.	Village	Longitude			Latitude						
	name	D	M	S	D	M	S				
1	Devrashtre	74	22	46.77	17	9	17.5				
2	Kumbhargaon	74	23	58.4088	17	8	11.4				
3	Kundal	74	24	26.154	17	6	57.168				
4	Ghogaon	74	22	54.2856	17	7	43.158				
5	Dahyari	74	22	25.0032	17	8	6.522				
6	Tupari	74	22	12.5688	17	8	18.1824				
7	Takari	74	21	28.9764	17	8	11.4				
8	Dudhari	74	20	40.4124	17	9	57.5592				
9	Rethare Harnaksha	74	20	8.7864	17	9	24.606				
10	Asad	74	20	46.5756	17	9	43.5348				
11	Wadgaon	74	21	30.4272	17	9	5.5548				

### Annexure III

# List of villages falling within the Eco-sensitive Zone of Yashvantrao Chavan Sagareshwar Wildlife

### Sanctuary, Maharashtra

SAGARESHWAR WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSTIVE ZONE VILLAGE COORDINATE TABLE											
Sr. No.	Village name	Longitude			Latitude						
		D	M	S	D	M	S				
I	Devrashtre	74	23	28.0572	17	9	45.1188				
II	Kumbhargaon	74	24	16.9632	17	8	14.496				
III	Kundal	74	25	14.5308	17	6	47.0376				
IV	Ghogaon	74	22	39.684	17	6	53.9856				
V	Dahyari	74	22	26.1264	17	7	58.26				
VI	Tupari	74	21	51.2928	17	7	22.8576				
VII	Takari	74	21	25.7796	17	8	0.5172				
VIII	Dudhari	74	20	28.8924	17	8	29.022				
IX	Rethare Harnaksha	74	19	43.59	17	9	18.377				
X	Asad	74	20	50.8056	17	10	12.0792				
XI	Wadgaon	74	22	4.7496	17	10	14.3292				

#### **Annexure IV**

### Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
  - [Details may be attached as separate Annexure]
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
  - [Details may be attached as separate Annexure]
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.